कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शाजापुर म.प्र.

E_mail : csurgeonshjmp@nic.in, ☎ : 07364-227718

क्रमांक / स्था. / 2019 / 6397 दिनांकः 14.11.2019

किचन सामग्री निविदा

जिला चिकित्सालय,शाजापुर के आंतरिक मरीजों के भोजन व्यवस्था के लिए खाद्य पदार्थो की व्यवस्था हेतु वर्ष 2019–20 के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थो के क्रय हेतु **निविदा स्वीकृति दिनांक से दिनांक 31.12.2020 तक** की समयावधि के प्रदाय हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विभिन्न प्रवर्गो के लिए निविदाएं सीलबंद लिफाफे में जो कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रथम निविदा प्रकाशन दिनांक से निर्धारित दिवस की अवधि में शाम 05.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय की आवक शाखा में पहुंच जानी चाहए। निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

वर्ग क्र.	खाद्य पदार्थो का नाम (प्रवर्ग का नाम) किराना सामग्री
1.	आयोडिन युक्त नमक,आटा देवास गोल्ड (चुना हुआ साफ), चावल बासमती टुकडी (कंकर रहित), शक्कर (सफेद), तुअर दाल उच्च क्वालिटी, मुंगदाल छिलके वाली, मुंगदाल धुली, उडद दाल धुली, खडी मुंग, साफ चना (चुना हुआ साफ), पोहा मोटा, दलिया गंगवाल (प्रति क्विंटल), शुद्ध देसी घी (सांची), गोंद, अजवाईन, खोपरा बुरा, सूजी, मूंगफली दाना, दाख, मुंगफली तेल (डबल रिफाइंड फार्चून), सोयाबीन तेल (डबल रिफाइंड फार्चून), जीरा कंकर रहित, साफ खडा नमक, टाटा चाय पत्ती, हल्दी, मिर्ची, सूखा पीसा धनिया, राई, हिंग, मैथीदाना, सौंफ, खडा सूखा धनिया, गुड, बेसन, चना दाल (प्रति किलो), पारले जी बिस्कीट (8 बिस्कीट प्रति पैक), निरमा वाशिंग पाउडर,वीम बार आदि।
2.	**हरी सब्जी एवं सलाद**– आलु, टमाटर,प्याज,बैगन,हरा धनिया, हरी मिर्ची, गिलकी, बरवटी, कद्दू, लोकी, हरा टमाटर, भिण्डी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मैथी, अदरक, लहसून, करेला, मटर फली, टिण्डे, बरबी, तरोई, टिहोरी, सेमकी फली, ककडी,चुकंदर,गाजर,मूली इत्यादि।
3.	**फल फ्रूट**– सेवफल, चिंकू, संतरा पका हुआ,पपीता, आम, अंगुर, केला (प्रति नग) इत्यादि।

निविदा की शर्ते –

1. निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन का प्रारूप प्रातः10.30 से 5.00 बजे तक रोगी कल्याण समिति शाखा से क्रय किया जा सकता हैं।
2. उपर दिए गए प्रवर्गो का अथ यह नहीं हैं कि उक्त निविदाकार के साथ ही निविदा की जावेगी। जिसका प्रवर्ग में सम्मिलित वस्तुओं का मूल्य कम से कम हैं। निविदा सामान्यतः निविदाकार द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए दिये गए निम्नतम मूल्यों के कथनों पर उन विशिष्ट वस्तुओं हेतु निविदा करने के लिए मरीज के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर दृष्टिपात एवं विचार पर क्रय किया जावेगा।

3. निविदा के साथ प्रवर्ग 1 के लिए 1,00,000/— (राशि रू. एक लाख), प्रवर्ग 2 के लिए 40,000/— (राशि रू. चालीस हजार) एवं प्रवर्ग 3 के लिए 15000/— (राशि रू. पंद्रह हजार) की एफडीआर जो कि सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय, शाजापुर के नाम से देय होगी।
4. खाद्य पदार्थ के संबंध में निविदा प्रतियोगिता में शामिल व्यक्तियों जिन्होंने निविदा के साथ अमानत के तौर पर प्रतिभूति जमा की है, उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जावेगा।
5. तकनीकी निविदा सर्वप्रथम खोली जावेगी एवं निविदा की अर्हता पूर्ण होने पर ही उस निविदाकार की प्राईज बिड क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।
6. बजट आवंटन के अभाव में देयकों के भुगतान में विलंब हो सकता हैं। भुगतान ई—पेमेंट बैंक के माध्यम से किया जावेगा। देयकों को पारित करने एवं राशि बैंक में जमा होने की प्रक्रिया में लगभग एक माह का समय लग सकता हैं। बजट आवंटन होने पर ही भुगतान संभव होगा।
7. निविदाकार निविदा के साथ फर्म का जीएसटी नंबर एवं खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें।
8. शासन द्वारा जो खाद्य पदार्थ का जीएसटी के अंतर्गत हैं, उनका जीएसटी देयक लगाया जावे।
9. **निविदा स्वीकृति दिनांक से दिनांक 31.12.2020 तक** की समयावधि के लिए वस्तुओं के स्थाई भाव मूल्य आंकडों एवं अक्षरों में भरना अनिवार्य हैं।
10. समस्त सामग्री जिला चिकित्सालय की भोजनशाला तक आरएमओ/प्रभारी अधिकारी/डायटीशियन द्वारा मांग अनुसार पहुंचाना होगा। निविदा में दिये गये भाव के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि व भाडे का भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने पर आवश्यक नहीं कि निविदा में दर्शाई सभी वस्तुऐं क्रय की जावें, वस्तुओं का क्रय प्रति आंतरिक मरीज पर आवंटित राशि के अनुपात के आधार पर किया जावेगा।
12. निविदा में जो वस्तु दशाई गई हैं, उन्हें निविदाकार को **निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 31.12.2020 तक** प्रदाय करना होगी। यदि निविदाकार मांग के अनुसार वस्तुओं को प्रदाय करने में असमर्थ रहेगा तो वस्तुओं का क्रय स्थानीय बाजार से कर शासन को जो हानि होगी उसकी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति से कर संबंधित फर्म को ब्लेक लिस्टेड घोषित किया जावेगा।
13. खाद्य सामग्री मांग पत्रक के अनुसार एक मुश्त प्रदाय करना होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि को राजसात किया जावेगा साथ ही सामग्री के साथ देयक भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
14. आगामी वर्ष की निविदा स्वीकृत होने तक विगत वर्ष की स्वीकृत दरों पर ही समयावधि तक सामग्री प्रदाय करना होगी।

15. खाद्य पदार्थो को प्रदाय करने वाले निविदाकारों के पास खाद्य संरक्षण और मानक अधिनियम 2006 के अधीन स्टेट लायसेंसिंग अर्थोरिटी से खाद्य पदार्थ के कारोबार से संबंधित जीवित लायसेंस अनिवार्य हैं अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
16. वह फर्म जो निविदा प्रस्तुत कर रही है। वह ब्लेक लिस्टेड न हो इस संबंध में निविदा के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. जो सामग्री शासकीय उपक्रमों से प्रदाय की जावेगी फर्मे ठेकेदार से उस वस्तु का क्रय नहीं किया जावेगा।
18. निविदा में दर्शाये गये मूल्य में सभी प्रकार के कर सम्मिलित होंगे।
19. खाद्य सामग्री उत्तम तथा गुणवत्ता वाली ही होगी। सामग्री उत्तमता एवं गुणवत्ता में उपयुक्त नहीं पाए जाने पर निविदा निरस्त की जाकर प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी।
20. समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. अधोहस्ताक्षर एवं क्रय समिति के द्वारा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।
22. निविदा के साथ पेनकार्ड की स्व प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
23. निविदा के साथ फर्म का दुकान एवं स्थापना पंजीयन एवं नगर पालिका पंजीयन अनिवार्य रूप से संलग्न की जावें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
24. निविदाकार को विगत तीन सालों का आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
25. निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन लिफाफे का उपयोग करें। लिफाफा 'अ' में तकनीकी निविदा से संबंधित मांगे गये आवश्यक प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं एफ.डी.आर. होगे तथा लिफाफा 'ब' में फायनेंसियल निविदा से संबंधित दर सूची होगी दोनों लिफाफो को एक बडे लिफाफे में रखकर सिलबंद एवं चपडी बंद करना अनिवार्य होगा। बडा लिफाफा से होगा।
26. उक्त निविदायें शाजापुर शहर के निविदाकारों के ही स्वीकार्य होंगे।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय,शाजापुर

निविदा की शर्ते

1. खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी शाजापुर नगर के लिये सामग्री विक्रय के लायसेंस की प्रमाणित प्रति, जो कि वर्ष 2019–20 के लिऐ हो।
2. श्रम विभाग शाजापुर द्वारा जारी दुकान का लायसेंस म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958.
3. बैंक में जीवित खाता होने संबंधी प्रमाण पत्र (बैंक स्टेटमेंट)।
4. निविदाकारक द्वारा पूर्ण अवधि सप्लाय का घोषणा पत्र।
5. खाद्य सामग्री उत्तम एवं गुणवत्ता वाली सप्लाई की जाना होगी।
6. निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति का रहेगा।
7. निविदा का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति व संस्थान का नहीं होगा।
8. भुगतान ई–पेमेंट द्वारा होगा।
9. क्रय आदेश के प्राप्त होते ही सामग्री की डिलीवरी देना होगी।
10. निविदाकार मूल अभिलेख सहित निविदा खोले जाने स्थल पर उपस्थित रहे।

निविदाकार के हस्ताक्षर

मय नाम व पता
मो.नं.

घोषणा–पत्र

मैं/हम.. घोषणा करते हैं कि निविदा में दी गई दर पर मेरे/हमारे द्वारा पूर्ण अवधि सामग्री सप्लाई,प्राप्त आदेशानुसार की जाएगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

मय नाम व पता
मो.नं.

निविदा प्रारूप

प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय,शाजापुर

महोदय,

.... समाचार पत्र/ऑनलाईन निविदा दिनांक को प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में चिहिंत निविदा प्रारूप में हमारी निविदा/निविदाऐं निम्नलिखित वस्तुओं के लिए और वर्धित निर्वधा पर और कार्यालय से अभिप्राप्त संविदा की शर्तो पर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। वर्णित निम्नांकित दर वर्ष .... तक मान्य रहेंगे। निर्धारित आपेक्षित अग्रिम अमानत धन राशि का बैंक ड्राफ्ट क्र........................ दिनांक.......................रसीद/शोधन क्षमता प्रमाण पत्र तथा बैंक प्रतिभूति संलग्न हैं।

संलग्न– सह पत्र।

क्र.	**वस्तु का नाम**	**अनुमानित मात्रा**	**दर**	**कुल राशि**

स्थान
दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर

मय नाम व पता
मो.नं.